न्यायालय – अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर (राज.)

पीठासीन अधिकारी – सीमा हुड्डा, R.J.S.

नियमित आपराधिक प्रकरण सं. – 365/2015
सीआईएस नं0 – 2378/2015
सीएनआर नं० – RJSK140009952014

राजस्थान राज्य **बनाम** जावेद राबिया वगैरह

अपराध अन्तर्गत धारा 193, 420, 467, 468, 471, 120 बी भा०दं०सं०

भाग– प्रथम

A

परिवादिया	अब्दुल मजीद
प्रस्तुतकर्ता	राजस्थान राज्य जरिये अभियोजन अधिकारी
अभियुक्त का नाम व पता	1. **मो. जावेद पुत्र अब्दुल मजीद** 2. **मो. साजिद पुत्र अब्दुल मजीद** 3. **मो. आरिफ पुत्र अब्दुल मजीद** 4. **राबिया पुत्री अब्दुल मजीद** **समस्त निवासीगण निवासी वार्ड नं० 23 लक्ष्मणगढ़ थाना लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर**
विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण	श्री महेश शर्मा

B

अपराध की दिनांक	18.07.2001
प्रथम सूचना रिपोर्ट की दिनांक	09.04.2014
आरोप पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक	03.09.2015
आरोप सुनाये जाने की दिनांक	03.09.2019
साक्ष्य प्रारम्भ की दिनांक	06.12.2019
निर्णय आरक्षित किये जाने की दिनांक	13.06.2026
निर्णय दिनांक	13.06.2026
दोषमुक्ति की दिनांक	13.06.2026

C

अभियुक्त का विवरण

अभियुक्त की रैंक	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की दिनांक	जमानत पर रिहा होने की दिनांक	अपराध अन्तर्गत धारा	दोषमुक्त अथवा दोषसिद्ध	पारित दण्डादेश	धारा 428 जाब्ता फौजदारी के उद्देश्य के लिए अभियुक्त द्वारा

							विचारण के दौरान अभिरक्षा में व्यतीत की गई अवधि
01 02 03 04	मो. जावेद मो. साजिद मो. आरिफ राबिया	–	–	193, 420, 467, 468, 471, 120 बी भा०दं०सं०	दोषमुक्त	दोषमुक्त	–

भाग द्वितीय
अभियोजन/बचाव/न्यायालय गवाहान की सूची

अ–अभियोजन गवाहान

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार (चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सकीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
पी०ड० 1	बनवारी लाल	अन्य गवाह
पी०ड० 2	गोविंद	अन्य गवाह
पी०ड० 3	अब्दुल मजीद	परिवादी
पी०ड० 4	रहमत	चश्मदीद गवाह
पी०ड० 5	सुरेन्द्र सिंह	अनुसंधान अधिकारी
पी०ड० 6	राजेश	अनुसंधान अधिकारी

ब–बचाव गवाह

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार (चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सकीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)

स–न्यायालय गवाह

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार (चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सकीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
	––	

अभियोजन/बचाव/न्यायालय प्रदर्श

अ–अभियोजन प्रदर्श

प्रदर्श नम्बर	विवरण
प्रदर्श पी. 1	जमाबंदी की प्रमाणित प्रति

प्रदर्श पी. 2	विक्रय पत्र की प्रमाणित प्रति
प्रदर्श पी. 4	मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति
प्रदर्श पी. 5	मृत्यु प्रतिवेदन
प्रदर्श पी. 6	थानाधिकारी को पेश आवेदन
प्रदर्श पी. 7	परिवाद
प्रदर्श पी. 8	नगरपालिका रजिस्टर की प्रमाणित प्रति
प्रदर्श पी. 9	चाक एफ.आई.आर.

ब–बचाव प्रदर्श

प्रदर्श नम्बर	विवरण
प्रदर्श डी. 1	वाद पत्र अब्दुल मजीद बनाम जाबिद की सत्य प्रति
प्रदर्श डी. 2	पुलिस बयान अब्दुल मजीद

स–न्यायालय प्रदर्श

क्र.सं.	प्रदर्श नम्बर	विवरण
	––	

द–भौतिक वस्तुएं

क्र.सं.	भौतिक वस्तु नम्बर	विवरण

<u>नि र्ण य</u> **<u>दिनांक–13.06.2026</u>**

1. प्रकरण के संक्षेप में सुसंगत तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 13.03.2014 को परिवादी अब्दुल मजीद ने एक परिवाद प्रदर्श पी–7 जाबिद वगैरह के विरूद्ध न्यायालय में इस आशय का प्रस्तुत किया कि परिवादी लक्ष्मणगढ़ वार्ड नं० 23 का निवासी है जिसने तीस वर्ष पूर्व राबिया को तलाक दे दिया था और तलाक के साथ उसे रहने के लिए घर दे दिया तथा महर राशि व भरण–पोषण हेतु एकमुश्त राशि एवं उसका समस्त स्त्रीधन उसे सौंप दिया था। उसने गुजराती औरत से दूसरी शादी कर ली तथा पालनपुर ही आबाद हो गया। शादी के बाद उसके अब्दुल कयूम, रिजवान, शहनाज और मोहम्मद आफताब पैदा हुए जो पालनपुर बनासकांठा में आबाद है। परिवादी की तलाकशुदा पत्नी व पुत्रगण 01 ता 04 के मन में लालच आ गया और उन्होंने खेत हड़पने की साजिश रची इसलिए उन्होंने परिवादी की अनुपस्थिति का

लाभ उठाते हुए सशपथ उसे दिनांक 18.07.2001 को मृत बताकर एक झूंठा व फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र नगरपालिका, लक्ष्मणगढ़ के रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु से प्राप्त कर लिया जबकि दिनांक 18.07.2001 को परिवादी लक्ष्मणगढ़ में न होकर पालनपुर गुजराज में रह रहा था। इस प्रकार फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र के जरिये अभियुक्त सं. 1 ता 4 ने खसरा नंबर 111/1 रकबा 1.61 हेक्टेयर व खसरा नंबर 724/1 रकबा 1.44 हैक्टेयर वाके लक्ष्मणगढ़ में परिवादी की खातेदारी की भूमि को अपने नाम जरिये नामांतरकरण सं. 2214 द्वारा विरासतन परिवादी का ¼ हिस्से का खाता अपने नाम दर्ज करा लिया और खसरा नम्बर 111/1 रकबा 1.61 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 724/1 रकबा 1.44 हैक्टेयर कृषि भूमि वाके लक्ष्मणगढ़ पर काबिज हो गये।

अभियुक्त संख्या 1 ता 4 ने अपने नाम बने फर्जी खाते की आड़ में परिवादी की उक्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 111/1 रकबा 1.61 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 724/1 रकबा 1.44 हैक्टेयर के 1/4 हिस्से को अपना बताकर दिनांक 10. 08.2001 को जरिये विक्रय–पत्र के एक लाख आठ हजार रुपये में गोविन्दसिंह पुत्र लिछमणसिंह तथा रामेश्वरलाल पुत्र गणपतराम को रहीस कुमार पुत्र रिछपालसिंह तथा राकेश कुमार पुत्र परमाराम के समक्ष दिनांक 17. 08.2001 को पंजीकृत करवा दिया। अभियुक्तगण ने परिवादी की खातेदारी की कृषि भूमि को अपने नाम हस्तांतरित करने के लिये उसे मृत बताने के लिये फर्जी मृत्यु प्रमाण–पत्र प्राप्त कर परिवादी की कृषि भूमि को अपने नाम खाते में दर्ज कराकर परिवादी को अनुचित नुकसान पहुंचाते हुए और स्वयं को अनुचित लाभ पहुंचाते हुए राजस्व रिकॉर्ड की कूटरचना कर उपरोक्त कृषि भूमि को बेचकर नकद रकम रुपये 1,08,000/– (2,70,000 – रुपये) असल कीमती हासिल कर ली। इस प्रकार धोखा करने की नीयत से मुलजिमान ने परिवादी के राजस्व रिकॉर्ड में कूटरचना की और फर्जी तरीके से 2,70,000/–रू. की रकम ऐंठ लिये। अतः कानूनी कार्यवाही की जावे। उक्त परिवाद वास्ते अनुसंधान अंतर्गत धारा 156 (3) दं.प्र.सं. में थाना लक्ष्मणगढ़ में प्रेषित करने पर एफ.आई.आर. संख्या 96/2014 प्रदर्श पी. 9 दर्ज की जाकर बाद आवश्यक अनुसंधान प्रकरण में आरोप पत्र अंतर्गत धारा 193, 420, 467, 468, 471, 120 बी भा.दं.सं. में अभियुक्तगण मो. जावेद, मो. साजिद, मो. आरिफ,

राबिया के विरूद्ध प्रस्तुत किया जिस पर न्यायालय द्वारा बाद अवलोकन उक्त अभियुक्तगण के विरूद्ध उक्त धारा के अपराध का प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

2. बहस चार्ज सुनी जाकर अभियुक्तगण को धारा 193, 420, 467, 468, 471, 120 बी भा.दं.सं. का आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया जिसे अभियुक्तगण ने सुन व समझ आरोप से इंकार कर अन्वीक्षा चाही।

3. अभियोजन पक्ष की ओर से प्रकरण को साबित करने के लिए पृष्ठ संख्या 2, 3 पर भाग द्वितीय में वर्णित गवाहों के बयान करवाये व दस्तावेजात् प्रदर्शित करवाये।

4. अभियुक्तगण का परीक्षण धारा 313 दं0प्र0सं0 के तहत लेखबद्ध किया गया तो उन्होंने अभियोजन साक्ष्य को गलत होना बताया व स्वयं के निर्दोष होने व झूठा फंसाये जाने का कथन करते हुए अभियुक्तगण द्वारा कथन किये गये है कि उन्होंने कोई धोखधड़ी नहीं की, न ही फर्जी दस्तावेज तैयार किये है,परिवादी ने झूठा मुकदमा कर फंसाया है तथा साक्ष्य प्रतिरक्षा प्रस्तुत नहीं करना चाहा।

5. बहस अंतिम उभय पक्ष सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अभियोजन अधिकारी का तर्क रहा है कि पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे प्रमाणित है। अतः अभियुक्तगण को आरोपित अपराध के लिए दोषसिद्ध किया जावे जिसके विरोध में विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण का तर्क रहा है कि पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे प्रमाणित नहीं है। प्रकरण में गवाहान की साक्ष्य में भारी विरोधाभास पाया गया है। अतः अभियुक्तगण को आरोपित अपराध से दोषमुक्त किया जावे।

6. उभयपक्षों के तर्कों–तथ्यों पर विचार किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया, न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिंदु यह है कि –

1. क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 18.07.2001 को या उससे पूर्व किसी समय कस्बा लक्ष्मणगढ़ में आपराधिक षड़यंत्र रचा और उस षड़यंत्र के अनुसरण में अभियुक्ता राबिया ने जीवित परिवादी अब्दुल मजीद की तलाकशुदा पत्नी होते हुए उसे मृत दर्शाते हुए शपथ पत्र निष्पादित कर उसका झूठा मृत्यु प्रमाण पत्र नगरपालिका

लक्ष्मणगढ़ के जन्म–मृत्यु रजिस्ट्रार से प्राप्त कर लिया एवं परिवादी अब्दुल मजीद को मृत दर्शाते हुए मिथ्या एवं फर्जी शपथ पत्र के आधार पर नगरपालिका लक्ष्मणगढ़ के जन्म मृत्यु रजिस्ट्रार से उसका मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 18.07.2001 को प्राप्त किया और प्रवंचना कर उक्त भूमि का नामान्तरकरण रेवन्यू अधिकारियों से अपने नाम ¼ हिस्से को दर्ज करवा लिया, तद्वोपरान्त उक्त भूमि को पुनः प्रवंचना कर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 10.08.2001 के जरिये विवादित भूमि को गोविंदसिंह व रामेश्वरलाल को विक्रय कर 1,08,000/– रूपये की राशि प्राप्त की एवं अभियुक्तगण द्वारा परिवादी अब्दुल मजीद को मृत दर्शाते हुए मिथ्या एवं फर्जी शपथ पत्र के आधार पर नगरपालिका लक्ष्मणगढ़ के जन्म मृत्यु रजिस्ट्रार से उसका मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 18.07.2001 को प्राप्त किया और प्रवंचना कर छल कारित करने के लिए मूल्यवान प्रतिभूति रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 10.08.2001 की कूटरचना की गई या अभियुक्तगण इस अपराध में शामिल थे तथा कूटरचित दस्तावेजात शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, नामान्तरकरण जो की कूटरचित दस्तावेजात को यह जानते हुए कि वह कूटरचित है, असल के रूप में उपयोग में लेने के अपराधिक षड़यंत्र में भाग लिया?

2. यदि हां तो दण्ड की समुचित मात्रा क्या होगी ?

7. उक्त विचारणीय बिन्दु के संबंध में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 06 गवाहान को प्रस्तुत कर परीक्षित कराया गया है जिसमें से गवाह पी०ड० 3 अब्दुल मजीद जो कि प्रकरण में परिवादी है जिसने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि उसके पिताजी का नाम अहमद है। उसके पिताजी के तीन पुत्र अकबर हुसैन, जमालुदीन व तीसरा वह स्वयं है व चार बहनें फातमा, खातीजा, रूकैया, रहमत है। अकबर हुसैन के कोई औलाद नहीं थी। उसका बड़ा भाई व उसकी पत्नी दोनों बिना औलाद गुजर गये। उसकी पहली पत्नी राबिया थी जिसको उसने बतीस–तैंतीस साल पहले तलाक दे दिया था। राबिया से तीन पुत्र उसे पैदा हुये जिनमें जावेद, साजिद, आरिफ है एवं एक लड़की मशूदा पैदा हुई। राबिया तलाक के बाद अलग रहने लगी। उनकी खातेदारी की जमीन उसके भाई जमालुदीन व उसकी मां शूभ्रा के नाम रही। फिर उसके हिस्से की जमीन उसके नाम चढ गई। उसका राबिया तथा उसके पुत्रगणों ने

नगरपालिका से उसकी मृत्यु का प्रमाणपत्र 2014 में बनाकर उसकी जमीन का हक हिस्सा अपने नाम चढा लिया व उस जमीन को बेचान कर दिया। उसकी बहिनों ने उसे सूचना की थी। उक्त फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र जावेद, साजिद, आरिफ व उसकी पत्नी राबिया ने बनवाया था। उसके नाम खातेदारी की जमीन की जमाबंदी प्रदर्श पी–1 है जिसमें खातेदारी कॉलम में उसके नाम का इन्द्राज है व खसरा नंबर का उल्लेख है एवं जमीन के क्षेत्रफल का उल्लेख है। नामातंरण का नोट है जिसमें जरिये विरासत मेरा ¼ हिस्सा उसकी फोतगी में जाबिद, साजिद, आरिफ पिता मजीद व बेवा राबिया होने का नामांतरण अंकित है। उक्त जमीन के बेचाननामा का इन्द्राज अंकित है। उसकी मृत्यु का प्रमाण पत्र प्रदर्श् पी–4 है जिसमें दिनांक 18.07.2001 को उसकी मृत्यु होना जाहिर किया तथा 01.08.2001में उक्त प्रमाणपत्र जारी करवाया। उसकी मृत्यु की सूचना देने का प्रतिवेदन प्रदर्श पी–5 है जिस पर उसके पुत्र जावेदन का नाम अंकित है। उक्त जमीन के बेचान की रजिस्ट्री प्रदर्श पी–2 है। उसके द्वारा उसकी पत्नी को मौखिक तलाक पूर्व में दिया था जिस बाबत उसने थानाधिकारी को प्रा. पत्र पेश किया जो प्रदर्श् पी–6 है जिस पर उसके हस्ताक्षर है। उसने स्वयं का मृत्यु प्रमाणपत्र फर्जी बनाने बाबत इस्तगासा किया जो प्रदर्श् पी –7 है जिस पर उसके हस्ताक्षर है। उसकी मृत्यु की नगरपालिका में इन्द्राज कराने की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी–8 है जिस पर क्र.सं–37 पर उसके नाम का इन्द्राज है व उसके पुत्र जावेद का नाम अंकित है। उसके पुत्रों व उसकी पत्नी राबिया ने उसे जिंदा को मृत बताकर उसकी जमीन को अपने नाम चढाकर गलत रूप से बेचान किया।

8. अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई **प्रतिपरीक्षा** में उक्त गवाह ने अधिवक्ता अभियुक्त के इन सुझावों को सही होना स्वीकार किया है कि वह अब्दुल मजीद लक्ष्मणगढ़ का निवासी है। इस बाबत उसने कोई दस्तावेज राशनकार्ड, आधारकार्ड, पेनकार्ड, वोटरकार्ड, डी.एल., टेलीफोन बिल, बिजली बिल पत्रावली में पेश नहीं किया, उसके द्वारा दस्तावेज सूची के साथ न्यायालय में पेश किये गये दस्तावेज 14.03.14 के दस्तावेज वोटरआईडी व बीपीएल कार्ड पालनपुर, गुजरात के हैं, वह लक्ष्मणगढ का निवासी होते हुये गुजरात सरकार का निवासी बनकर सरकार के साथ वहां धोखा करते हुये वहां बीपीएल धारक बनकर मुफ्त सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त किया है। उसने जुबानी तलाक दिया था। वह माता के इंतकाल के समय मौजूद नहीं था।

वह जमाती है और जमात में जाता है। वह नहीं बता सकता कि उसके कितने पोते व पोतियां है। अगर उसके बड़े पोते की आयु 25 साल से ज्यादा हो तो उसे जानकारी नहीं है। तथाकथित मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के करीब 13–14 साल बाद उसने यह मुकदमा दर्ज करवाया है। वह अपनी माताजी की मौत के किसी भी कार्यक्रम में शामिल होने नहीं आया था। उसके स्वयं का बनाया हुआ लक्ष्मणगढ़ में कोई मकान नहीं है। उसके भाई जमालुदीन के पांच लड़के व दो लड़कियां है। वह जमालुदीन के लड़के व लड़कियों के नाम व आयु नहीं बता सकता। उनमं से कितनों के निकाह हो गये, उसे पूरी जानकारी नहीं है। उसका असली नाम अब्दुल मजीद अहमद खत्री है। सरनेम में पिनारा या खत्री हो सकता है। वह किसी मजीद नाम के व्यक्ति को नहीं जानता है। प्रदर्श पी. 7 किसने लिखा, कब लिखा इस पर तो केवल उसके साईन है। प्रदर्श पी. 4 कुल चार पेज में है, प्रत्येक पर उसके साईन है लेकिन इसमें क्या लिखा है, उसे नहीं पता। वह दो–तीन दिन से लक्ष्मणगढ़ में उसके भाई जमाल के घर पर है।

9. गवाह पी०ड० 4 रहमत ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि अब्दुल मजीद उसका सगा भाई है जिसकी शादी आज से 37–38 साल पहले राबिया के साथ हुई थी जिससे चार संताने पैदा हुई। जावेद ,मकसूदा, साजिद व आरिफ उनकी संतान थी। उसके बाद अब्दुल मजीद ने राबिया से तलाक ले लिया। तलाक लेने के बाद में उसके भाई ने मदीना से शादी की जिससे चार संताने हुई तथा मदीना के साथ उसी समय से उसका भाई अब्दुल मजीद पालनपुर गुजरात मे रहने लग गया। मदीना से पैदा हुई संतानों के नाम कयूम,आफताब, सहनाज व रिजवान है। बीस– पच्चीस साल पहले राबिया व उससे जन्में पुत्र जावेद, साजिद, आरिफ तथा पुत्री मकसूदा ने उसके भाई अब्दुल मजीद का फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र नगरपालिका लक्ष्मणगढ़ से बनाकर मृत घोषित कराके अब्दुल मजीद के नाम की जमीन अपने नाम नामांकन भरवाकर के सिंगोदडा गांव के जाटों को बेच दी। उसका भाई अब्दुल मजीद जीवित था, उसका मृत्यु प्रमाण बनाकर उसका हिस्सा छीनकर के धोखाधड़ी की। **प्रतिपरीक्षा** में उक्त गवाह ने इस सुझाव को गलत होना बताया है कि तथाकथित अब्दुल मजीद उसका सगा भाई हो, उसका सगा भाई अब्दुल मजीद मरा नहीं है, जिंदा है। अब्दुल मजीद का मृत्यु प्रमाण पत्र उसके सामने नहीं बनाया था, न ही उसके सामने नगरपालिका में

पेश किया था। न ही उसने यह फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र व अन्य दस्तावेज अपनी आंखों से देखे थे। उसने बेचने के कागजात अपनी आंखों से नहीं देखे थे। उसे किसी बात की जानकारी नहीं है। वह पढ़ीलिखी नहीं है।

10. गवाह पी०ड० 1 बनवारीलाल ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दिनांक 27.08.15 को वह तहसील लक्ष्मणगढ़ में ऑफिस कानूनगो के पद पर तैनात था। उसी दिन पुलिस थाना लक्ष्मणगढ़ को खसरा नं 111/1 व 724/1 की नकल जमाबंदी संवत 2056 से 2059 उसके द्वारा ऑफिस कानूनगो शाखा से जारी की गई है जो प्रदर्श पी 1 है जिस पर उसके हस्ताक्षर है जिस पर नामांतरण संख्या–2214 विरासत का हिस्सा 1/4 मजीद के स्थान पर जाबिद, साजिद, आरिफ पिता मजीद व राबिया बेवा मजीद के नाम स्वीकार हुआ का नोट अंकित है। नामांतरण संख्या–2231 बेचान से जाबिद, साजिद, आरिफ पिता मजीद व राबिया बेबा मजीद हिस्सा 1/4 के स्थान पर गोविंद पुत्र लिछमण, रामेश्वरलाल पुत्र गणपतराम स्वीकार हुआ जिस पर नोट अंकित है। **प्रतिपरीक्षा** में उक्त गवाह ने कथन किया है कि जांच व रिकॉर्ड अनुसार सही पाये जाने पर नामांतरण स्वीकृत होता है।

11. गवाह पी०ड० 2 गोविंद ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह 2001 में लक्ष्मणगढ़ में स्टाम्प विक्रेता था। उसने 09.08.2001 को जाबिद, साजिद, आरिफ पिता मजीद व राबिया बेवा मजीद निवासी–लक्ष्मणगढ़ को उसने पांच हजार के दो, पांच सौ के दो व सौ–सौ के नो स्टांप विक्रय किये थे जिनका अंकन उसने अपने स्टांप विक्रय रजिस्टर में दर्ज किया था। उक्त स्टांप विक्रय रजिस्टर विभाग में वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर जमा करा दिया जाता है। उक्त स्टांपों बाबत रजिस्ट्री प्रदर्श पी. 2 है जिसकी पुश्त पर उसके नाम का इंद्राज है व स्टांप क्रेता व राशि का अंकन है। **प्रतिपरीक्षा** में उक्त गवाह ने कथन किया है कि स्टांप विक्रय करते समय क्रेता के रजिस्टर में साईन करवाकर उसे सुपुर्द कर देते है।

12. गवाह पी०ड० 5 सुरेन्द्र सिंह ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दिनांक 31.07.2015 को वह थाना लक्ष्मणगढ़ में थानाधिकारी के पद पर था। उस रोज अनुसंधान अधिकारी राजेश विधार्थी का स्थानांतरण होने के कारण मुकदमा नंबर 96/2014 का अनुसंधान उसे प्राप्त हुआ। अनुसंधान अधिकारी राजेश विद्यार्थी ने

मुलजिमान मोहम्म्द जावेद ,मोहम्मद साजिद, मोहम्मद आरिफ व राबिया के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा 193, 420, 467, 468, 471, 120 बी. भा०दं०सं० प्रमाणित मानी जिस पर उसने पत्रावली का अवलोकन कर उक्त मुलजिमान के विरूद्ध उक्त धाराओं में आरोप पत्र न्यायालय मे पेश किया। **प्रतिपरीक्षा** में उक्त गवाह ने कथन किया है कि उसे ध्यान में नहीं है कि इस प्रकरण का परिवादी ही लक्ष्मणगढ़ का अब्दुल मजीद हो इस बाबत कोई दस्तावेज पत्रावली में है या नहीं, वह नहीं बता सकता।

13. गवाह पी०ड० 6 राजेश कुमार ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि मुकदमा नंबर 96/14 का अनुसंधान राजेन्द्र सिंह बेनीवाल थानाधिकारी के स्थानान्तरण होने पर उसे प्राप्त हुआ। दौराने अनुसंधान उसने गवाह अब्दुल मजीद, रमजान, रहमत के कथनानुसार बयान लेखबद्ध किये। परिवादी अब्दुल मजीद द्वारा पेश प्रार्थना पत्र प्रदर्श पी. 6 तलाक दिये जाने बाबत शामिल पत्रावली किया जिस पर उसके हस्ताक्षर है। तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ से प्राप्त रिकॉर्ड प्रदर्श पी . 2 शामिल पत्रावली किया। नगरपालिका से प्रमाणित रिकॉर्ड प्रदर्श पी. 5 व 8 शामिल पत्रावली किया। पटवारी से प्राप्त जमाबंदी प्रदर्श पी. 1 शामिल पत्रावली की। प्रार्थी अब्दुल मजीद द्वारा पेश इस्तगासा प्रदर्श पी. 7 है जिस पर कार्यवाही पुलिस व थानाधिकारी राजेन्द्र बेनीवाल के हस्ताक्षर है। चाक एफआईआर प्रदर्श पी. 9 है जिस पर थानाधिकारी राजेन्द्र सिंह बेनीवाल के हस्ताक्षर है। बाद अनुसंधान मुलजिमान मोहम्मद जावेद, मोहम्मद साजिद, मोहम्मद आरिफ, श्रीमति राबिया के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा 193, 420, 467, 468, 471,120 बी भा०दं०सं० प्रमाणित माना। **प्रतिपरीक्षा** में उक्त गवाह ने कथन किया है कि इस प्रकरण के परिवादी का नाम अब्दुल मजीद है जिसका धारा 161 सीआरपीसी के तहत दिनांक 21.10.2014 को उसके द्वारा बयान लिया गया था जो प्रदर्श डी. 2 है। परिवादी अब्दुल मजीद के बयान प्रदर्श् बचाव 2 में अंकित उसके भाई अकबर हुसैन व जमालुद्दीन होने के उसके कथनों पर उसने कोई जांच नहीं की एवं उनके बयान वगैरह नहीं लिये थे। उसने परिवादी अब्दुल मजीद से वह लक्ष्मणगढ़ का निवासी है, से संबंधित कोई दस्तोवज प्राप्त नहीं किये थे क्योंकि उसके पास ऐसा कोई दस्तोवज था ही नहीं। उसने अब्दुल मजीद के लक्ष्मणगढ़ के निवास के आस पास के किसी भी व्यक्ति के कोई बयान नहीं लिये थे

कि वह लक्ष्मणगढ़ का रहने वाला होकर निवासी हो। उसने अब्दुल मजीद परिवादी के घर के संबंध में कोई जांच नहीं की थी इसलिए वह यह नहीं बता सकता कि परिवादी अब्दुल मजीद का लक्ष्मणगढ़ में कौनसा घर है। गवाह रहमत परिवादी अब्दुल मजीद की बहिन है, इस बाबत केवल परिवादी की बहन है इस बाबत परिवादी ने कोई दस्तावेज पेश नहीं किए है। गवाह साले मोहम्मद से संबंधित कोई दस्तावेज उसने प्राप्त नहीं किए है और न ही ऐसा कोई दस्तावेज उसे परिवादी द्वारा दिया गया था। प्रदर्श पी. 6 में लिखित इबारत से संबंधित कोई दस्तावेज परिवादी ने पेश नहीं किया था। अब्दुल मजीद ही अभियुक्त राबिया का पति हो इस संबंध मे उसने जांच नहीं की और न ही इस संबंध में दस्तावेज प्राप्त किये थे। उसने अब्दुल मजीद के गुजरात निवासी उसकी पत्नी व उसके बच्चों के कोई बयान नहीं लिये है जिससे यह साबित हो अब्दुल मजीद परिवादी लक्ष्मणगढ़ का निवासी था। उसने अब्दुल मजीद निवासी लक्ष्मणगढ़ का निवासी हो, इस संबंध में उसके दादा,चाचा, ताऊ तथा पड़दादा के बयान नहीं लिए है। अब्दुल मजीद ने न्यायालय मे परिवाद पेश किया था इसलिए उसने अब्दुल मजीद को राबिया का पति माना है।

14. इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध उपरोक्त समग्र साक्ष्य का ध्यानपूर्वक परिशीलन करने के उपरांत न्यायालय के समक्ष यह स्थिति दर्शित होती है कि हस्तगत प्रकरण में परिवादी का अभिकथन है कि आरोपीगण उसको मृत बताकर नगरपालिका, लक्ष्मणगढ़ से मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा लिया तथा उसकी कृषि भूमियों को अपने नाम दर्ज करवा लिया तथा अन्य व्यक्तियों को बेच दिया गया। हस्तगत प्रकरण में अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 193, 467, 468 भा०दं०सं० का आरोप है। धारा 467, 468, 471 भा०दं०सं० के लिए अभियोजन पक्ष को यह साबित करना है कि विवादित मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदर्श पी. 4 आरोपीगण द्वारा कूटरचित या फर्जी तरीके से बनाया गया है तथा उक्त प्रमाण पत्र के आधार पर परिवादी की जमीन का नामान्तरण आरोपीगण द्वारा अपने नाम पर करवाकर उक्त जमीन का विक्रय कर दिया गया है। प्रदर्श पी. 4 लोकसेवक द्वारा विधिपूर्वक कार्यवाही करते हुए निष्पादित किया गया है। उक्त दस्तावेज के निष्पादन से पूर्व किस अभियुक्त द्वारा क्या –क्या दस्तावेज पेश किये गये हैं, उसके बाबत कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है। परिवादी द्वारा नगरपालिका लक्ष्मणगढ़ में भी किसी प्रकार की कोई शिकायत मृत्यु प्रमाण पत्र के बारे

में नहीं की गई है। नगरपालिका के किसी संबंधित व्यक्ति को प्रकरण में गवाह के तौर पर नहीं रखा गया है। पत्रावली पर कोई एफ .एस.एल. रिपोर्ट संलग्न नहीं है। आरोपीगण द्वारा कूटरचित या मिथ्या दस्तावेज पेश किये गये हो, इस बाबत नगरपालिका द्वारा किसी प्रकार की शिकायत दर्ज नहीं करवायी गई है। ऐसी स्थिति में यह नहीं माना जा सकता है कि नगरपालिका द्वारा निष्पादित मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदर्श पी. 4 कूटरचित हो या कूटरचित दस्तावेज पेश करने के पश्चात उक्त मृत्यु प्रमाण पत्र निष्पादित किया गया हो। जिस कृषि भूमि के नामान्तरण का विवाद है उक्त कृषि भूमि का नामान्तरण भी सक्षम प्राधिकारी द्वारा बाद जांच ही आरोपीगण के पक्ष में दर्ज किया गया है। किसी भी राजस्व कर्मचारी को बतौर साक्षी परीक्षित नहीं करवाया गया है।

15. हस्तगत प्रकरण में परिवादी ने स्वयं को अब्दुल मजीद पुत्र अहमद जाति पिनारा बताया है जबकि विवादित मृत्यु प्रमाण पत्र मजीद पुत्र अहमद खत्री के नाम से जारी किया हुआ है। परिवादी ने स्वयं को लक्ष्मणगढ़ का निवासी होना बताया है परंतु परिवादी लक्ष्मणगढ़ का निवासी हो, इस बाबत कोई दस्तावेज पत्रावली पर संलग्न नहीं है। अभियोजन पक्ष द्वारा परिवादी के लक्ष्मणगढ़ निवासी होने बाबत राशनकार्ड पेश किया गया है। हालांकि उक्त दस्तावेज को प्रदर्शित करवाने बाबत प्रार्थना पत्र न्यायालय द्वारा खारिज किया जा चुका है परंतु उक्त दस्तावेज के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उक्त दस्तावेज मजीद मदनका पुत्र अहमद मदनका के नाम से है जिससे भी यह स्पष्ट नहीं होता है कि उक्त दस्तावेज परिवादी के नाम पर निष्पादित है। अनुसंधान अधिकारी ने अपनी जिरह में स्वीकार किया है कि उसने परिवादी अब्दुल मजीद के लक्ष्मणगढ़ निवासी होने से संबंधित कोई दस्तावेज प्राप्त नहीं किये थे क्योंकि उसके पास कोई ऐसा दस्तावेज था ही नहीं। परिवादी ने स्वयं का अभियुक्ता राबिया से तलाक होने का कथन किया है परंतु तलाक होने बाबत कोई ठोस साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है। परिवादी ने जिरह में स्वीकार किया है कि वह अपनी माताजी की मौत के किसी भी कार्यक्रम में शामिल होने नहीं आया था। वह उसके भाई के लड़के-लड़कियों की आयु नहीं बता सकता। कितनों का निकाह हो गया, उसको जानकारी नहीं है। लक्ष्मणगढ़ में स्वयं का कोई मकान नहीं होने का तथ्य स्वीकार किया है। परिवादी ने परिवाद में अन्य भाई बहनों का उल्लेख किया है परंतु मात्र रहमत बानो के

ही बयान लेखबद्ध करवाये हैं। उपरोक्त तथ्यों से भी यह स्पष्ट नहीं होता है कि परिवादी लक्ष्मणगढ़ का निवासी हो तथा अभियुक्तगण का पति व पिता हो। हस्तगत मुकदमा मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लगभग 13–14 साल बाद दर्ज कराया गया है।

16. ऐसी स्थिति में उपरोक्त विवेचनानुसार अभियोजन पक्ष अपना मामला अभियुक्तगण के विरूद्ध संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है और यह भी साबित करने में असफल रहा है कि अभियुक्तगण ने दिनांक 18.07.2001 को या उससे पूर्व किसी समय कस्बा लक्ष्मणगढ़ में आपराधिक षड़यंत्र रचा और उस षड़यंत्र के अनुसरण में अभियुक्ता राबिया ने जीवित परिवादी अब्दुल मजीद की तलाकशुदा पत्नी होते हुए उसे मृत दर्शाते हुए सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र निष्पादित कर उसका झूठा मृत्यु प्रमाण पत्र नगरपालिका लक्ष्मणगढ़ के जन्म–मृत्यु रजिस्ट्रार से प्राप्त कर लिया एवं परिवादी अब्दुल मजीद को मृत दर्शाते हुए मिथ्या एवं फर्जी शपथ पत्र के आधार पर नगरपालिका लक्ष्मणगढ़ के जन्म मृत्यु रजिस्ट्रार से उसका मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 18.07.2001 को प्राप्त किया और प्रवंचना कर उक्त भूमि का नामान्तरकरण रेवन्यू अधिकारियों से अपने नाम ¼ हिस्से को दर्ज करवा लिया तथा उक्त भूमि का विक्रय अन्य व्यक्तियों को कर दिया। अतः अभियुक्तगण को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 193, 420, 467, 468, 471, 120 बी भारतीय दण्ड संहिता के आरोप से संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

:: आदेश ::

17. परिणामस्वरूप अभियुक्त **1. मो. जावेद पुत्र अब्दुल मजीद, 2. मो. साजिद पुत्र अब्दुल मजीद, 3. मो. आरिफ पुत्र अब्दुल मजीद, 4. राबिया पुत्री अब्दुल मजीद, समस्त निवासीगण निवासी वार्ड नं० 23 लक्ष्मणगढ़ थाना लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर** को धारा 193, 420, 467, 468, 471, 120 बी भारतीय दण्ड संहिता के आरोप से संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

18. अभियुक्तगण की नियमित उपस्थिति बाबत जमानत मुचलकें तुरंत प्रभाव से निरस्त किये जाते है।

(सीमा हुड्डा)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर

19. निर्णय व आदेश आज दिनांक 13.06.2026 को लिखाया जाकर हस्ताक्षरित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सीमा हुड्डा)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर

Signature Not Verified
Digitally signed by
Date: 2026.06.16 11:32:15 IST